



श प्र
रिवा
दिनांक
07/12/2020

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रान्दाई कुई, पिता-स्व० नाथो हो, ग्राम-कुस्तुईया, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-मतकमहातु, थाना नं०- 642, खाता न०- 07, प्लॉट न०- 250, रकवा- 0.20 एकड़ भूमि क्रेता सिवानी खलखो, पति-आनंद कुमार खलखो, ग्राम-नरसन्डा (मोचीसाई), थाना-मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम से नां० मु० सं०- 08/1985-1986 द्वारा नामांतरण स्वीकृत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1212, दिनांक 4.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। ईलाज हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सिवानी खलखो, पति-आनंद कुमार खलखो, ग्राम-नरसन्डा (मोचीसाई), थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 4,00,000.00/- (चार लाख) रुपये मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। सर्व साधारण सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि 2.00 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता रान्दाई कुई, पिता-स्व० नाथो हो, ग्राम-कुस्तुईया, थाना-मुफसिल जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-मतकमहातु, थाना नं०- 642, खाता न०- 07, प्लॉट न०- 250, रकवा- 0.20 एकड़ भूमि को क्रेता सिवानी खलखो, पति-आनंद कुमार खलखो, ग्राम-नरसन्डा (मोचीसाई), थाना-मुफसिल चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>आज्ञा</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	